NP-Monsoon patrolling.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश (42)

प्रगति भवन, तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल
दूरभाष 0755–2674206, 2674248 फैक्स 0755–2766315

क्रमांक/संरक्षण/77/ 3529 दिनांक, भोपाल 20 जून, 2013

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

प्रति,

1. समस्त क्षेत्र संचालक (प्रोजेक्ट टाइगर) मध्यप्रदेश,
2 संचालक माधव/वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश,
3. मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) ग्वालियर/इन्दौर
4 वनमण्डलाधिकारी, नौरादेही (वन्यप्राणी) सागर,
कूनो (वन्यप्राणी) वनमण्डल श्योपुर,

विषय – **राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों में मानसून के दौरान विशेष गश्ती ।**

———

जैसा कि आपको विदित ही है कि मानसून के दौरान राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के क्षेत्र तथा उनके आसपास स्थित क्षेत्र, नदी नालों में पानी भर जाने के कारण दुर्गम हो जाते हैं और इन परिस्थितियों में यहां पर आवागमन और गश्ती बहुत कठिन हो जाती है। ऐसे समय अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में प्रवेश कर अपराधिक गतिविधियों, जैसे अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अवैध शिकार करने की संभावना बढ़ जाती है। अतः मानसून के दौरान पूर्व वर्षो की भांति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के लिए हमें विशेष रणनीति अपनानी होगी। इस रणनीति के आधार पर आप कृपया अपने क्षेत्र हेतु एक मानसून गश्ती योजना तैयार करें, एवं उसी अनुसार कार्यवाही करें।

कृपया योजना बनाते समय उसमें स्थल विशेष से संबंधित अन्य गतिविधियों के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए भी गतिविधियां सम्मिलित की जायें :

1. एक रोस्टर के आधार पर कर्मचारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपते हुए संवेदनशील बिन्दुओं पर उनकी तैनाती की जावे।
2 प्रतिदिन की जाने वाली पैदल/वाहन/हाथी गश्ती को पंजी में पंजीबद्व किया जाये। बाघ/तेन्दुए के देखने अथवा ट्रेक मिलने की जानकारी के साथ–साथ प्रत्येक 15 दिवसों की अवधि के उपरांत घटित अपराधों एवं जप्तियों की जानकारी इस कार्यालय को भी भेजी जाये।
3 क्षेत्र में मिलने वाली प्राकृतिक नमक चाट, साल्ट लिक्स, शहद के छत्ते वाले पेड़ों तथा जल स्त्रोतों की पहचान कर उन्हे निगरानी के लिए नियमित गश्ती कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।
4. संरक्षित क्षेत्रों तथा उसके आसपास से गुजरने वाली विद्युत लाईनों के नीचे एवं आसपास नियमित गश्ती की जावे।
5. अवैध चराई की रोकथाम के लिए संपूर्ण क्षेत्र में सामूहिक गश्ती की व्यवस्था रखी जाये।
6. संरक्षित क्षेत्रों के भीतर एवं आसपास लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में कर्मचारियों द्वारा नियमित चेकिंग की व्यवस्था की जाये।

पृ.क्र.-

पिछला	अगला

7. संरक्षित क्षेत्र के आसपास स्थित एवं आने वाले शिकारी समुदायों के डेरो पर भी निगाह रखी जाये।
8. सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए वायरलेस नेटवर्क को सुचारू हालत में रखा जायें ताकि सूचनाओं का आदान–प्रदान निर्वाध ढंग से 24 घंटे किया जा सके। संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध मोबाइल हैण्डसेट का वितरण भी इस तरह से किया जावे कि सभी अधिकारी/कर्मचारी वायरलेस नेटवर्क से जुड़े रहें।
9. सभी पेट्रोलिंग कैम्प और चौकियों को दुरूस्त हालत में रखते हुए उनका उपयोग कर्मचारियों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में किया जाये। इनका नियमित पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जावे।
10. चूंकि अधिकांश पेट्रोलिंग कैम्प ऐसे स्थानों पर होते है जहां पर तात्कालिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही होती है, अतः समस्त कर्मचारियों को चिकित्सक से परामर्श कर एक मेडिकल किट उपलब्ध करायी जावे एवं बाटर फिल्टर तथा मच्छरदानी, सोलर टार्च, रेन कोट इत्यादि दिये जावे एवं उनकी अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाये।
11. अपराधों की सूचना देने में गुप्तचर या मुखबिरों की एक विशेष भूमिका होती है। इनसे सूचना प्राप्त करने के लिए शासन के द्वारा बनाये नियमों के अंतर्गत उपयुक्त प्रावधान कर उनका उपयोग किया जाय। कुछ कर्मचारियों जिनकी रूचि इस तरह के कार्यो में है, उन्हे भी गुप्त सूचनाओं को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाये। इस हेतु एक रोस्टर बनाकर उसमें अधिकारी/कर्मचारी को दिये गये क्षेत्र विशेष के लिए व्यक्ति विशेष से सूचनायें एकत्र कर जानकारी रखी जावे एवं इसकी नियमित समीक्षा की जावे।
12. संरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध आग्नेय अस्त्रों को गश्ती दलों में समुचित ढंग से वितरित कर उनका उपयोग किया जाय।
13. गश्ती दलों को क्षेत्र में स्थित होटलों, पर्यटन बिन्दुओं, वाहनों तथा बस स्टैण्ड पर निगाह रखने के लिए दलवार कार्यक्रम का समावेश किया जावे।
14. क्षेत्र में विगत वर्षो में वन्यप्राणियों के अवैध शिकार में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों की निगरानी के लिए कर्मचारियों की नामवार डियूटी लगाकर उनसे जानकारी प्राप्त की जावे।
15. पूरे माह में घटित हुए वन्यप्राणी अपराधों को 1:50,000 के नक्शे पर दर्शाया जाना चाहिए जिससे उनका अनुश्रवण सही ढंग से किया जा सके।
16. वन्यप्राणियों द्वारा होने वाले जनहानि, जन घायल एवं पशु हानि प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए उनके निराकरण करने की दृष्टि से इस तरह के सभी प्रकरणों की जानकारी घटना की दिनांक को ही वायरलेस से मुख्यालय भेजी जाय और उसका तत्काल निराकरण किया जावे।
17. अपराधियों का काइम डॉजियर तैयार कर उसे अद्यतन रखा जावे।
18. ग्राम वन/वन सुरक्षा/ईको विकास समिति के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम स्तरीय वन अपराध पंजी संधारित की जावे जिससे वन अपराध में लिप्त व्यक्तियों की पहचान हो सके और उनकी निगरानी की जा सके।

(५५)

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

19. स्थानीय पुलिस थानों से वन अपराध में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर उनकी निगरानी की व्यवस्था की जाये।
20. वन्यप्राणी अपराधों के अन्वेषण के लिए टेप रिकार्डर/कैमरा एवं अन्य नवीनतम फॉरेन्सिक तरीकों का उपयोग किया जावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

20/6/13

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/संरक्षण/77/3530 दिनांक, भोपाल 20 जून, 2013

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण, एनेक्सी–5, बीकानेर हाऊस शाहजहां रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया क्षेत्रीय वनमण्डलों के लिए भी उपरोक्तानुसार निर्देश प्रस्तावित करने का कष्ट करें।
3. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
4. मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय भोपाल, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल, होशंगाबाद, ग्वालियर, इंदौर, छतरपुर, सागर, रीवा वृत्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ वनमण्डलों में विचरण कर रहे बाघों एवं अन्य वन्यप्राणियों की मानसून सत्र में सुरक्षा हेतु अधीनस्थ अमलें को उक्त निर्देशों के पालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

   मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, टाइगर स्ट्राइक फोर्स, जबलपुर, सतना, इंदौर, होशंगाबाद, सागर एवं भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि मानसून सत्र में वन्यप्राणियों एवं बाघों की सुरंक्षा एवं संरक्षण के संबंध में उल्लेखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई संपादित करें।

20/6/13

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
म.प्र., भोपाल

18/6/13